

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला ग्वालियर  
प्रश्न सं. [ क. 861 ]

परिशिष्ट-1

विधानसभा प्रश्न- 861 की पूरक जानकारी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य :-

- 1- गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना।
- 2- गर्भवती महिला को प्रसव के पूर्व व पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके।
- 3- नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना।
- 4- द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ :-

- 1- प्रथम प्रसव वाली महिलाओं को निम्नानुसार दो किशतों में मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है:-

नकदी अंतरण	शर्तें	राशि (रूपये में)
प्रथम किशत	गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन एवं अंतिम मासिक चक्र दिनांक (LMP) के 6 माह के अंदर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर	रु 3000 /-
द्वितीय किशत	बच्चे के जन्म का पंजीकरण। बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर ( BCG, OPB, DPT, & Hepatiis-B or Its equivalent/ Substitute )	रु 2000 /-
	कुल	रु 5000 /-

- 2- द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म होने पर लाभ :- द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म पर एकमुश्त राशि रु 6000 /- प्रदान किये जानो का प्रावधान रखा गया है।

*True copy*  
*SP*

Subodh Garg  
Assistant Director (PMMAY)  
Women and Child Development  
Bhopal

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
कार्यालय, वल्लभ भवन, ग्वालियर

*[Signature]*  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला-ग्वालियर